यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमूं (जयपुर)

16 / 2018

उनवान

1. श्रीमती मोहनी देवी पत्नी मूलचन्द मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम बगडी तहत पटवार हल्का नांगलगोविन्द हाल निवासी ढोढसर तहसील चौमू, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार महोदय चौमूं तहसील चौमूं जिला जयपुर।
2. नायब तहसीलदार गोविन्दगढ जिला जयपुर।
3. अर्जुनलाल पुत्र ठण्डूराम
4. ग्यारसी देवी पुत्री विलाश
5. गोरधन पुत्र विलाश
6. नन्दलाल पुत्र विलाश
7. नाथू पुत्र गोविन्दराम
8. बन्नाराम पुत्र नारायाण
9. बरजी देवी पत्नी गोविन्दराम
10. बीरबल पुत्र नारायण
11. भागचन्द पुत्र भूराराम
12. मुकेश पुत्र गोविन्दराम
13. शंकर पुत्र भूरा
14. सुरज्ञान चन्द पुत्र नारायण
15. सावंतराम पुत्र नारायण
16. सावंरमल पुत्र विलाश
17. हरिपाल पुत्र जीवणराम समस्त जाति मीणा, निवासीयान ग्राम बगडी, तहसील चौमू जिला जयपुर।
18. ओमप्रकाश पुत्र रामेश्वर जाति ब्राहम्ण
19. कालू पुत्र हनुमान जाति ब्राहम्ण
20. गणेश पुत्र हनुमान जाति जाट
21. नानूराम पुत्र हनुमान जाति जाट,
22. प्रभाती देवी पत्नी नन्दाराम जाति जाट समस्त निवासी हाल ग्राम परसुरामपुरा तन सरगोठ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
23. ममता शर्मा पत्नी कमलेश कुमार शर्मा जाति ब्राहम्ण
24. फुलचन्द पुत्र स्व.मालीराम पौत्र हनुमान जाति जाट
25. राधेश्याम पुत्र हनुमान जाति ब्राहम्ण
26. शीला देवी पत्नी विजय कुमार शर्मा जाति ब्राहम्ण
27. सूरजमल रामेश्वर जाति ब्राहम्ण
28. सीताराम पुत्र हनुमान जाति जाट समस्त निवासीयान ग्राम बगडी तहसील चौमू जिला जयपुर।
29. ओमप्रकाश पुत्र गणपतलाल
30. रामनिवास पुत्र स्व.छोटुराम पौत्रान शिवसहाय
31. रूडाराम पुत्र स्व. छोटुराम पौत्रान शिवसहाय
32. कालू पुत्र स्व. छोटुराम पौत्रान शिवसहाय
33. श्रवण पुत्र स्व. छोटुराम पौत्रान शिवसहाय

Scanned by CamScanner

जवाहरमल पुत्र शिवसहाय
5. निर्मला पत्नी भागीरथ
36. निशा पुत्री भागीरथ
37. बनवारीलाल पुत्र गणपतलाल
38. पूरण पुत्र स्व. बंशीधर पौत्र गणपतलाल
39. सोनू पुत्र स्व. बंशीधर पौत्र गणपतलाल
40. मदनलाल पुत्र स्व. बंशीधर पौत्र गणपतलाल
41. रेखा पुत्री पुत्र स्व. बंशीधर पौत्र गणपतलाल

समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीयान ग्राम बगडी तहसील चौमू जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 राज0 भू0राजस्व अधि0 1956

निर्णय दिनांक 11.12.2019

पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट का पेश कर निवेदन किया है कि वह वाके ग्राम बगडी पटवार हल्का नांगलगोविन्द तहसील चोमू में स्थित हाल खाता संख्या 80 खसरा नम्बर 434 रकबा 0.65है., ख.न. 437 रकबा 0.05है., खसरा नम्बर 438 रकबा 0.01है., खसरा नम्बर 439 रकबा 0.29है., कुल किता–4 का कुल रकबा 1.00है0 भूमि की प्रार्थीया रिकॉर्डेड खातेदार एवं काबिज काश्तकार है। उक्त भूमि वर्णित मद नं. 1 प्रार्थना पत्र प्रार्थीया की एकमात्र खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि है, जिस पर बहैसियत रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार प्रार्थीया काबिजकाश्त रहते हुए उपजो को प्राप्त कर लाभ उठाती चली आ रही है। प्रार्थीया में अपनी उक्त खातेदारी भूमि को प्रत्येक प्रकार से उपयोग उपभोग में लेने, काश्त करने, उपजो को प्राप्त करने सहित उक्त आराजीयात का सीमाज्ञान करवाते हुये पत्थरगढी आदि करवाने के समस्त वैधानिक अधिकार पूर्णतया निहित है। प्रार्थीया जो कि भूमि वर्णित मद नम्बर 1 प्रार्थना पत्र अनुसार काबिज रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है, ने अपने खातेदारी अधिकरों को उपयोग में लेते हुय उक्त भूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतु उपतहसीलदार गोविन्दगढ के समक्ष आवेदन पेश किया गया जिस पर उपतहसीलदार गोविन्दगढ जिला जयपुर के आदेश दिनांक: 26.05.2017 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक: 09.07.2017 को सीमाज्ञान किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 41 प्रार्थीया की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 434, 437, 438, 439, के उत्तरी पूर्वी उत्तरी पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी व दक्षिण पूर्वी दिशाओ के सीवजोड पडोसी काश्तकार है, जो प्रार्थीया से रंजिश रखते है तथा प्रार्थीया की खातेदारी भूमि वर्णित मद संख्या 1 की सीमाज्ञान कार्यवाही दिनांक:09.07.2017 के अनुसार पत्थरगढी की कार्यवाही अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को करने देने में बाधा कारित कर रूकावट पैदा करते है एवं मौके पर अप्रार्थीगण संख्या 1 व2 को सीमाज्ञान दिनांक: 09.07.2017 के अनुसार पत्थरगढी नही करने देते है। अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 41 को कदर पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थीया की भूमि वर्णित मद संख्या 1 प्रार्थना पत्र की अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के अधिनस्थ कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा दिनांक: 09.07.2017 की सीमाज्ञान कार्यवाही अनुसार पत्थरगढी किये जाने में किसी प्रकार की बाधा या रूकावट ना तो स्वंय पैदा करे, ना अन्य से करवाये व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 प्रार्थीया की खातेदारी भूमि वर्णित मद संख्या 1 प्रार्थना पत्र की पत्थरगढी करवाना मौके पर सुनिश्चित करे ।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेश करने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 12 के अधिवक्ता एवं प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। शेष अप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित है। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी आवेदित आराजी

Scanned by CamScanner

रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार चौमू के आदेश से दिनांक 09.07.2017 को पटवारी हल्का द्वारा करवाया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थी का प्रा0पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमू को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तथा मौके पर फसल न हो तो सीमाज्ञान दिनांक 09.07.2017 के अनुसार उभयपक्षकारों को सूचित करते हुये पत्थरगढी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2020.02.01 08:40:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: